# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 28 / 2023

1. गीता देवी पत्नी रामप्रताप जाति नाई निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. रामप्रताप पुत्र भैराराम जाति नाई निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थीगण

बनाम्

1. तेजा राम बनाम पुत्र गोनाराम जाति बिश्नोई निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. करतार सिंह पुत्र जटुराम जाति बाजीगर निवासी चन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
3. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थितिः–श्री सुभाष गर्ग प्रार्थीगण

श्री परमजीतसिंह अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 20/2/26

प्रार्थना पत्र के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के नाम चक 8 एफ. टी. के जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 खाता संख्या 29 / 25 पत्थर नम्बर 202 / 252(34) किला नम्बर 5 / 1, 5 / 2, 6, 7, 14, 15 / 1.265 हैक्टर पत्थर नम्बर 203 / 252(35) किला नम्बर 1 / 1, 1 / 2, 10, 11 / 0.759 हैक्टर, इस प्रकार कुल, .024 हैक्टर मय गैर मुमकिन भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चक 8 एफ. टी. पी. – बी जमाबन्दी सम्वत 2075 तो 2078 के खाता संख्या 34 / 40 पत्थर नम्बर 202 / 252 ( 34 ) किला नम्बर 16, 17, 18, 19 तथा पत्थर नम्बर 203 / 252 ( 35 ) किला नम्बर 12, 19, 20 कुल 1.771 हैक्टर भूमि तथा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम चक 8 एफ. टी. पी. – बी जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 खाता संख्या 13 / 17 पत्थर नम्बर 202 / 252 ( 35 ) किला नम्बर 23, 24 कुल 0.506 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई मन्जूर शुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए वर्तमान में चल रहे मन्जूर शुदा रास्ता चक 8 एफ. टी. पी. – बी के पत्थर नम्बर 202 / 253 (41) किला नम्बर 3 ता 5 में से किला नम्बर 4 के चिपते अप्रार्थी संख्या 2 के किला नम्बर 24 अप्रार्थी संख्या 1 के किला नम्बर 17 के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उतर की तरफ होकर प्रवेश करते है । उक्त वैकल्पिक रास्ता से प्रार्थीगण अर्सा समय से आवागमन करते चले आ रहे है। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत नहीं है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के नजदीक व सुविधाजनक है इसके अलावा प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की भूमि चक 8 एफ. टी. पी. – बी. के पत्थर नम्बर 202 / 252 (34) के किला नम्बर 17 व 24 के पूर्वी दिशा में किला दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ 0.013 हैक्टर रास्ता प्रत्येक में स्वीकृत करवाना चाहते है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित रास्ता से आवागमन करते चले आ रहे है तथा अपनी कृषि भूमि को [illegible] करते चले आ रहे है। उक्त रास्ता अप्रार्थीगण एंव प्रार्थीगण द्वारा सहमति से वैकल्पिक [illegible] उपयोग में लिया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि काश्त करने के उपरान्त प्रार्थीगण उक्त जगह पर फसल काश्त कर लेते है तथा फसल उठाने के बाद पुनः प्रार्थीगण उक्त रास्ता में से आवागमन करते रहते है। प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता

नहीं है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित रास्ता के अलावा ओर कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण वर्तमान में प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में मन्जूर प्रकार करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण ने उक्त वैकल्पिक रास्ता को बंद कर खुर्द बुर्द करने तथा प्रस्तावित रास्ता की जगह निर्माण करने की धमकियां दे रहे है इसलिए प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की भूमि चक 8 एफ. टी. पी.–बी के पत्थर नम्बर 202/252 (34) किला नम्बर 17 व 24 के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उतर दिशा की तरफ 0.013 हैक्टर रास्ता प्रत्येक में स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा है । उक्त रास्ता की एवज में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को अपनी साथ चिपती भूमि अथवा डी. एल. सी. रेट अनुसार राशि देने को तैयार है । आज से करीब 5 दिवस पूर्व प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 से उक्त रास्ता को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया तथा कहा कि प्रस्तावित रास्ता की जगह पर जबरदस्ती निर्माण न करे तो उक्त अप्रार्थीगण स्पष्ट इन्कार हो गये। बस यही बिना प्रार्थना–पत्र है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर. टी. ए. पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण की भूमि चक नम्बर 8 एफ. टी. पी.–बी के पत्थर नम्बर 202 / 252 (34) के किला नम्बर 17 व 24 के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उतर दिशा की तरफ 0.013 हैक्टर रास्ता प्रत्येक किला में स्वीकृत फरमावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री कुन्दनलाल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश करने हेतु कई अवसर दिये गये लेकिन अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र पेश नही किया गया। अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया गया। तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर न्यायालय हाजा द्वारा हस्तगत प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 23.02.2024 द्वारा अप्रार्थी स0 1 तेजाराम की भूमि चक 8 एफटीपीबी के प0न0 202/252 मु0 34 के किला न0 17 के पूर्वी दिशा में दक्षिण दिशा में उतर 0.013 है0 व अप्रार्थी स0 2 करतार सिंह कृषि भूमि चक 8 एफटीपी बी के प0न0 202/252 के किला न0 24 के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उतर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में गै0मु0 रिकोर्ड में रास्ते का अंकन कर रास्ते में आयी भूमि के बदले प्रार्थीगण की भूमि चक 8 एफटीपी बी के खाता स0 29/25 में किला न0 14 में से रास्ते की भूमि छोडकर दिशा में पूर्व से पश्चिम 0.025 है भूमि अप्रार्थी स0 1 तेजाराम के नाम व अप्रार्थी स0 1 तेजाराम की भूमि किला न0 17 में से दक्षिण दिशा में रास्ते की भूमि छोडकर पूर्व से पश्चिम 0.013 है0 भूमि अप्रार्थी स0 2 करतार सिंह के नाम से रिकोर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये।

न्यायालय हाजा के पारित आदेश की अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ में की गयी, माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2025 द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

न्यायालय हाजा से पत्रावली प्राप्त होने के बाद दिनांक 28.08.2025 को पत्रावली में पेशी में ली गयी, अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता परमजीत सिंह द्वारा वकालतनामा पेश किया, उभयपक्ष अधिवक्ता ने स्वंय पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण हेतु निवेदन किया, हल्का पटवारी के साथ दिनांक 12.11.2025 को मौका निरीक्षण कर मौका पर्चा तैयार किया गया, वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश करने हेतु हिदायत दी गई, आदेशिका दिनांक 18.02.2026 को अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश न करते हुए सीधी बहस की।

उभयपक्ष सुनी गयी, बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया गया, हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चक 8 एफटीपी बी के प0न0 202/252 मु0 34 के किला न0 17,24 के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उतर दिशा की तरफ 0.013 है0 रास्ता चाहा है, चूंकि हस्तगत प्रकरण

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा रिमाण्ड किया गया है इसलिए पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किया गया, मौका निरीक्षण के दौरान मु0 34 के किला न0 17,24 व किला न0 16,25 की दूरी प्रार्थी की खातेदारी से समान है, किला न0 17,24 व किला न0 16,25 के काश्तकारान भी समान है, इस प्रकार पूर्व में भी न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रकरण में रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता एंव प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होने के सिद्धान्तों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, पीठासीन अधिकारी को मौका निरीक्षण के दौरान पूर्व में स्वीकृत रास्ता में किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटी जाहिर नही हुई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए के प्रावधानों के सुसंगत होने पर स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में पारित निर्णय के अनुसार चक न0 8 एफटीपी बी के प0न0 202/252 के मु0न0 34 के किला न0 17,24 के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उतर दिशा की तरफ प्रत्येक किला में 0.013 है0 रास्ता को स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज उक्त रास्ता को यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार दाखिल दफ्तर हो।

(सत्यनारायण R.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी